

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 20 जुलाई, 2016

अधिसूचना

का.आ 2477(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय घोषणा स्कीम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम (संशोधन) नियम, 2016 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- मूल नियमों में, प्ररूप-1 में, क्रम संख्यांक 1 और 2 और उससे संबंधित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"1. घोषणाकर्ता का नाम और पता

(क) नाम

(ख) पता : कार्यालय

.....

ई-मेल टेलीफोन नं.

निवास

.....

मोबाइल नं..... टेलीफोन नं.

2. फाइल करने की प्रास्थिति

(क) क्या घोषणा मूल है या पुनरीक्षित

(ख) यदि पुनरीक्षित है -

	/
--	---

- (i) प्रविष्टि प्राप्त सं. और मूल प्ररूप-1 (दिन/माह/वर्ष)
फाइल करने की तारीख
- (ii) पुनरीक्षित घोषणा के लिए कारण
(100 शब्दों से अधिक नहीं)"

[अधिसूचना 60/2016, फा.सं. 142/8/2016-टीपीएल]

(डा. टी.एस. मापवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 1831(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।